सीवर, संघर्ष और आजीविका

सीवर कर्मचारियों के मुद्दे पर कन्वेंशन

परिचय

सीवर / सेप्टिक टैंक में मौतें कैसे और किस स्तर तक होती हैं? प्रमाण के लिए हम वर्ष 2022 के शुरू के चार महीने में सीवर के अंदर लगभग 10 लोगों की मौत दिल्ली NCR में देख सकते हैं | हर साल सीवर / सेप्टिक टैंक में होने वाली सभी मौतें दर्ज नहीं हो पाती हैं | सीवर / सेप्टिक टैंक में काम करने वाले सफाई कर्मचारियों की मौतों के बारे में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने 1 फरवरी, 2022 को संसद में कहा कि पिछले पांच वर्षों में सीवर की सफाई के दौरान 340 लोगों की मौत हुई है | एक दुसरे सवाल के जवाब में भारत सरकार के मंत्री श्री रामदास आठवले जी ने संसद में बयान दिया कि पिछले पाँच सालों में सीवर में एक भी सफाई कर्मचारी की मौत नहीं हुई है | भारतीय लोकतंत्र के सदन में इस तरह के विरोधाभाषी बयान बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है |

सीवर / सेप्टिक टैंक / खुले नालों में काम करने वाले सफाई कर्मचारियों का यह अकेला दुर्भाग्य नहीं है; इनका शोषण वह हर निजी एजेंसी करती है जो सरकारी दायित्वों (ठेकों) के अधीन इनसे काम करवाती है | इन सभी शोषणों के खिलाफ संघर्ष में दलित आदिवासी शक्ति अधिकार मंच (दशम) सफाई कर्मचारियों के साथ खड़े रहने के लिए प्रतिबद्ध है | दशम पिछले कुछ वर्षो से ठेके पर काम करने वाले सीवर मजदूरों के साथ सभी महत्वपूर्ण मौंको पर पूरी ताकत के साथ खड़ा है | सीवर में मौत होने पर दशम ने मृतक के परिजनों को न्याय दिलाने के लिए काम किया और साथ ही गंभीर रूप से घायल कर्मचारियों को सरकार और सम्बंधित एजेंसी से उचित सहायता उपलब्ध कराने के लिए प्रयासरत रहा है | दिल्ली के विभिन्न क्षेत्रों के सीवर मज़दूरों के साथ संपर्क करना, उनकी समस्याओं को सुनना, विचार करना और एक्शन लेने का भी काम दशम ने किया है |

उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा और दिल्ली में दशम की टीम सक्रिय है | दिल्ली के विभिन्न इलाकों में राउंड टेबल मीटिंग भी आयोजित की गई जिसमें सीधे सीवर कर्मचारियों के साथ सरकारी अधिकारियों, सफाई कर्मचारी आयोग के प्रतिनिधियों तथा मजदूर यूनियन के नेताओं के साथ संवाद स्थापित किया गया | ऐसे राउंड टेबल पूर्वी दिल्ली के ताहिरपुर में, उत्तरी दिल्ली के हैदरपुर में, दक्षिण दिल्ली के मालवीय नगर में आयोजित किये गए | ये वे सफाई कर्मचारी हैं जिन्हें कानून में परिभाषित किया गया है | वे दिल्ली जल बोर्ड, नई दिल्ली नगर पालिका परिषद (NDMC), दिल्ली छावनी बोर्ड, दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA), लोक निर्माण विभाग (PWD) और दिल्ली स्टेट इंडस्ट्रियल एंडइंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (DSIIDC) के ठेकेदारों के अधीन कार्य करते हैं | फरीदाबाद, गाज़ियाबाद और पटना में वहां के सम्बंधित विभागों एवं सफाई कर्मचारियों के साथ न्याय के लिए कार्यवाहियां की गयीं | कानून, नियम और दिशा - निर्देशों में इनकी सुरक्षा के उपायों की व्यवस्था भी है; बावजूद इन व्यवस्थाओं के इन सफाई कर्मचारियों की स्थिति दिन प्रतिदिन ख़राब होती जा रही है | सरकार अपने मूल स्थायी कार्यों से खुद को अलग करते हुए सीवर जैसे मूल कार्यों को भी ठेकेदारों के हवाले कर रही है जहाँ सीवर कर्मचारियों का जीवन गुलामी और नर्क में तब्दील हो गया है | किसी भी सुरक्षा उपकरण को उपलब्ध नहीं कराया जाता है और न्यूनतम मजदूरी भी नहीं दी जाती है |

ठेकेदारी प्रथा के तहत कार्य करने वाले मजदूरों के अंदर अपनी आजीविका को लेकर अनिश्चितता हमेशा बनी रहती है | यह अनिश्चितता दिन प्रतिदिन और भी भयावह होती जा रही है | अनिश्चितता के इस डर की वजह से उनका अमानवीय तरीके से शोषण होता है | बीसियों साल से काम करने के बाद भी उनको उचित मजदूरी नहीं मिलती है और वे सुविधाएँ भी नहीं मिल पाती हैं जो एक प्राइवेट या सरकारी कर्मचारी को मिलती हैं | सुप्रीम कोर्ट से लेकर तमाम अदालतों ने फैसला दिया है कि स्थायी प्रकृति के काम को ठेके पर नहीं कराया जा सकता है | लेकिन इन आदेशों का पालन सरकार नहीं कर रही है |

दिल्ली में हजारो-हजार सीवर कर्मचारी ठेकेदारों के अधीन काम कर रहे हैं | जब हम एनसीआर क्षेत्र को भी मिलाएंगे तो यह संख्या कई गुना बढ़ जाएगी | खतरनाक और जानलेवा गैसों के बीच काम करना सीवर सफाई कर्मचारियों के लिए बहुत जोखिम पूर्ण कार्य है | अधिकांश कर्मचारी इन गैसों की चपेट में आने से जल्दी बीमार पड़ जाते हैं और घायल हो जाते हैं जिन्हें मुआवज़ा, स्वास्थ्य सुविधा या किसी भी तरह की कोई सहायता नहीं मिलती है | हाँ, यदि कोई कर्मचारी सीवर / सेप्टिक टैंक में काम करने के दौरान मर जाता है तो

10 लाख रुपये के मुआवज़ा का प्रावधान है | बहुत कोशिशों के बाद इन मजदूरों के कल्याण के लिए कानून तो बने, लेकिन राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं होने की वजह से इन कानूनों का पालन नहीं हो पाता है |

क्या होना चाहिए?

1. सीवर / सेप्टिक टैंक / खुले नालों के कार्यों को नियमित करके सरकार कर्मचारियों की सीधी भर्ती करे | इन सभी कर्मचारियों को सरकार के सम्बंधित विभाग अपने पे-रोल / मस्टर रोल पर लें |
2. सीवर / सेप्टिक टैंक / खुले नालों की सफाई के कार्यों को ठेकेदारी के तहत देने की प्रक्रिया को तुरन्त निरस्त किया जाय |
3. हर एक लाख की आबादी वाले क्षेत्र में प्रशासन द्वारा इमरजेंसी रिस्पांस सैनिटेशन यूनिट स्थापित की जाय |
4. सीवर कर्मचारी के घायल होने पर पूरी तरह ठीक होने तक इलाज कर्मचारी राज्य बीमा निधि के तहत कराया जाय |
5. सीवर / सेप्टिक टैंक / खुले नालों के कर्मचारियों के पुनर्वास तथा उनके बच्चों को बेहतर शिक्षा तथा रोजगार की गारंटी की जाय।

यह कन्वेंशन क्यों?

लोकतंत्र, नैतिकता और व्यवसाय की अवधारणा के प्रति सही एवं स्वस्थ समझ उन कार्यों में परिलक्षित होनी चाहिए जिन कार्यों को सरकार के सम्बंधित विभाग क्रियान्वित करते हैं | यह सफाई कर्मचारियों के संबंधमें भी दिखना चाहिए | राजनितिक, सामाजिक और धार्मिक हैसियत को आधार मानकर निर्णय लेना और उन्हें क्रियान्वित करना न्याय की अवधारणा के विपरीत है | परन्तु सफाई कर्मचारियों के सवालों पर वे सभी कार्य हो रहे हैं जो न्याय, नैतिकता, लोकतंत्र, और व्यवसाय की अवधारणा के विपरीत है |

इस कन्वेंशन का आयोजन रिसर्चकर्ता, यूनियन, सामाजिक संगठन, राजनितिक कार्यकर्ता, शिक्षाविद, अधिवक्ता, पत्रकारों और ग्रॉसरूट एक्टिविस्ट मिलकर कर रहे हैं जिसका उद्देश्य नीतिनिर्धारकों, क्रियान्वयन संस्थानों और कर्मचारियों के बीच की खाई को पाटने की दिशा में एक पहल है |

इन सब मुद्दों पर चर्चा और चिंतन करने के लिए **21 मई, 2022 सुबह 10:30 बजे से शाम 5:00 बजे तक कंस्टीटूशन क्लब ऑफ़ इंडिया, रफ़ी मार्ग, नई दिल्ली – 110001 में "सीवर और संघर्ष; सीवर कर्मचारियों के मुद्दे पर कन्वेंशन" का आयोजन किया जा रहा है जिसमे आपकी भागीदारी बहुत महत्वपूर्ण है।**

दलित आदिवासी शक्ति अधिकार मंच (DASAM) और सहयोगी संगठन आल इंडिया कबाड़ी मजदूर महासंघ (AIKMM), अम्बेडकरवादी लेखक संघ (ALS), बस्ती सुरक्षा मंच (BSM), दिल्ल्ली जल बोर्ड सीवर डिपार्टमेंट मजदूर संगठन, दिल्ली सॉलिडेरिटी ग्रुप (DSG), DJB एंप्लॉयीज वेल्फेयर एसोसिएशन (रजि), इंस्टिट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड सस्टेनेबिलिटी (IDS), जनपहल, जल मल कामगार संघर्ष मोर्चा , मगध फाउंडेशन , म्युनिसिपल वर्कर्स लाल झंडा यूनियन (CITU), जन आंदोलनों का राष्ट्रीय समन्वय (NAPM), राष्ट्रीय घरेलू कामगार यूनियन, नेशनल कैंपेन फोर डिगनिटी एंड राइट्स ऑफ़ सीवेरेग एंड अलाइड वर्कर्स (NCDRSAW), पीपुल्स रिसोर्स सेंटर (PRC- India), पीपल्स मीडिया एडवोकेसी एंड रिसोर्स सेंटर (PMARC), सीवरेज एंड अलाइड वर्कर्स मंच (SSKM), वर्कर्स वेलफेयर फाउंडेशन (WWF) द्वारा आयोजित.

अधिक जानकारी के लिए संपर्क करे 7065721374, 8178959197; dashaktimanch@gmail.com